

मंभार

आज पत्रावली धारिया द्वारा मिसल तलब कर  
अभयपक्ष में राजीनामा होने से प्रा.पत्र नहीं  
चलाने व खारिज करने का निवेदन किया।  
मूल पाद पत्र में उभर राजीनामा अभयपक्ष की  
उपस्थिति में स्वीकार कर मूल पाद खारिज  
किया जा चुका है अतः प्रा.पत्र चलाने का  
कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा.पत्र में इसी स्तर  
पर कार्रवाई खारिज की जाती है। मिसल  
फैसल शुमार होकर नवरे से काम की जाकर  
वकिल वपार हो।

04

उपखण्ड अधिकारी  
सरवाड़ जिला-अजमेर

